

फर्द अहकाम

माल्य उपावस लाइफ़र पम्पा
 बनाम राजकुमार
 मा संख्या / वर्ष : 15 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>वकील उमर खान</u> पत्रावली पूर्वानुसार <u>वस्तु ताली/जवाब</u> दिनांक <u>04/10/22</u> को पेश हो</p>	
04/10/22	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>वकील उमर खान</u> पत्रावली की <u>पत्रावली</u> द्वारा जमाना। पत्रावली में <u>पेश</u> के पीछे रिजर्वे ली जाने हेतु <u>पत्र</u> लिखा जाकर पत्रावली दिनांक <u>27/10/22</u> को पेश हो।</p>	
27/10/22	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा <u>पत्रावली</u> का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>31/10/22</u> पेश हुई</p>	
31/10/22	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा <u>पत्रावली</u> का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>07/11/22</u> पेश हुई</p>	
07/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा <u>पत्रावली</u> का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>14/11/22</u> पेश हुई</p>	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमम पत्र 370। वकील उमम पत्र की वहां हुई गई। वकील शर्मा ने ज्ञापन में अंकित बिन्दुओं को ताईद करते हुए निवेदन किया कि पत्र में अंकित स्वामि नखरान की पक्ष (गद्दी) के अंग्रेज प्रधान किए जावे। वकील अशर्मा सं. 6 व 7 अपनी वहां में जाता ज्ञापन व पारामि आषात्रियों में अंकित बिन्दुओं को ताईद करते हुए निवेदन किया कि जाता ज्ञापन में अंग्रेज के दायरे में अंग्रेजों के स्वामि से होने से व अंग्रेजों का स्वामि इतिहास देने से व पारामि का कलम नहीं होने से उमम ज्ञापन अशर्मा को केवल करने की बात से पेश किया जाय तथा ज्ञापन में अंकित स्वामि नखरान के संबंध में अन्य मामलों में वाद विभागीय हैं। अतः ज्ञापन धारा 128 एल. आर. एक्ट खारिज कर दिया जावे।</p> <p>वकील उमम पत्रों की वहां होने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पारामि द्वारा प्राप्त ज्ञापन धारा 128 एल. आर. एक्ट को खारिज करना उचित नहीं लगता है। अतः पारामि का पारामि पत्र अंग्रेज धारा 128 एल. आर. एक्ट खारिज नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पारामि को अंग्रेज-माया के विभागीय वाद के निस्तार के बाद नया पारामि पत्र पेश करने की दूर प्रधान की जाती है। पत्रावली केवल शुभ होकर नखरान से कम हो। बाद में ही होकर दाखिल दफतर हो।</p>

सपरखत अधिकारी
जयवारासंगद जिला-जयपुर